



सुप्रिम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले की जांच पूरी तरह निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि जांच को उसके ताकिक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाना आवश्यक है। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि अदालत राजनीतिक बहस का मंच नहीं है। न्यायालय के अनुसार यह एक आपराधिक मामले की जांच और उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि जांच सही ढंग से आगे बढ़े।

पात्र लोग यह वैक्सीन लगवा सकते हैं। कंपनी के अनुसार, क्यूडेगा को वर्ष 2022 से अब तक 43 देशों में मंजूरी मिल चुकी है और दुनिया भर में इसकी 3.2 करोड़ से अधिक खुराकें वितरित की जा चुकी हैं।